रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 22, 2009/वैशाख 2, 1931

No. 240] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 22, 2009/VAISAKHA 2, 1931

रक्षोपाय, सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क महानिदेशालय

रक्षोपाय जाँच की शुरूआत की सूचना

सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क का अभिज्ञान एवं निर्धारण) नियमावली, 2002 के नियम 6 के अधीन

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2009

विषय : भारत में सादा पार्टिकल बोर्ड के आयातों के बारे में रक्षोपाय जाँच की शुरूआत ।

सा.का.नि. 277(अ).—मै. शिरडी इंडस्ट्रीज लि. तथा मै. बजाज ईओ-टैक प्रोडक्ट लि. द्वारा भारत में सादा पार्टिकल बोर्ड, ओरिएण्टेड स्ट्रांड बोर्ड (ओएसबी) अथवा काष्ठ या अन्य लकड़ी के इसी प्रकार के बोर्डों, चाहे वे रेजिन या अन्य जैविक बंधनकारी पदार्थ हों, से संपिंडित हो या न हो, के आयात पर रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क का अभिज्ञान तथा निर्धारण) नियम, 1997 के नियम 5 के अंतर्गत मेरे समक्ष एक आवेदन दायर किया गया है ताकि भारत में उक्त उत्पाद के संवर्धित आयातों के कारण हुई गंभीर क्षति से घरेलू उत्पादों की सुरक्षा की जा सके ।

2. **घरेलू उद्योग :** यह आवेदन रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए मै. शिरडी इंडस्ट्रीज लि. तथा मै. बजाज ईओ-टैक प्रोडक्ट लि. द्वारा दायर किया गया है । इस आवेदन का समर्थन मै. नोवा पैन इंडस्ट्रीज लि., मै. आर्किड प्लाई इंड. लि., मै. पारालाम ग्लोबल प्रा. लि., मै. पटेल कैनवुड प्रा. लि., मै. दर्शन बोर्ड लैम लि., मै. शिवधान बोर्ड्स प्रा. लि., मै. बैकलाइट हायलम लि. और मै. ग्रीन प्लाई इंड. लि. द्वारा किया गया है । भारतीय उत्पादन में आवेदक का हिस्सा सबसे अधिक बनता है ।

3. **शामिल उत्पाद :** वर्तमान जांच में शामिल और भारत में आयात किया जा रहा उत्पाद "लकड़ी या अन्य काष्ठ सामग्री का पार्टिकल बोर्ड, ओरिएण्टेड स्ट्रांड बोर्ड (ओएसबी) तथा इसी प्रकार के बोर्ड (उदाहरणार्थ बैफर बोर्ड) चाहे वे रेजिन या अन्य जैविक बंधनकारी पदार्थों से संपीडित हों या नहीं (जिसे आगे पार्टिकल बोर्ड या उक्त उत्पाद कहा गया है) है जो सीमाशुल्क उपशीर्ष 4410 के अंतर्गत आता है ।" तथापि पृष्ठावरण या कागज से लैमिनेटेड पार्टिकल बोर्ड अथवा डेकोरेटेड लेमिनेट के बोर्ड रक्षोपाय शुल्क के अधीन प्रस्तावित दायरे में नहीं आते हैं । इस उत्पाद को कई वाणिज्यिक नामों से भी जाना जाता है जिनमें सादा/अपरिष्कृत/रंगीन पार्टिकल/फाइबर पार्टिकल/बैगास/बाँस/जूट/पैनल बोर्ड शामिल हैं । यह उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची 1 के उप-शीर्ष सं. 4410 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है ।

घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु लकड़ी या अन्य काष्ठीय सामग्री के पार्टिकल बोर्ड या ओरिएण्टेड स्ट्रांग बोर्ड (ओएसबी) है । आवेदकों ने दावा किया है कि भारतीय उत्पादकों द्वारा उत्पादित और आपूर्त वस्तु विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन,

कीमत, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं के संबंध में विभिन्न देशों से आयातित वस्तु से तुलनीय है । आवेदकों ने दावा किया है कि भारतीय उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तु आयातित वस्तु के समान या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु है ।

उत्पाद का सौदा या तो भार के आधार पर (कि.ग्रा. या मी. टन) या फिर भौतिक विमीय आधार पर (घनमीटर या सीबीएम) किया जाता है । उत्पाद का उत्पादन विभिन्न प्रकार की मोटाई या चौड़ाई में किया जाता है ।

4. **संवर्धित आयात :** दिसम्बर, 2007 तक की अवधि के लिए डीजीसीआई एण्ड एस और परवर्ती अवधि के लिए इंटरनेशनल बिजनेस इंफॉर्मेशन सर्विसेज (आईबीआईएस) से संकलित सूचना के आधार पर आवेदकों ने यह दर्शाया है कि " उक्त उत्पाद " के आयातों में समग्र रूप में और भारत में उत्पादन तथा खपत की तुलना में निम्नलिखित तालिका के अनुसार वृद्धि हुई है : -

	आयात की मात्रा सीबीएम में	प्रति माह आयात सीबीएम में	भारतीय उत्पादन सीबीएम में	प्रति माह भारतीय उत्पादन सीबीएम में	भारतीय उत्पादन की तुलना में आयात % में
2005-06	64,343	5,362	66,707	5,559	96.46
2006-07	57,030	4,752	101,331	8,444	56.28
2007-08	65,152	5,429	130,887	10,907	49.78
अप्रैल,08 - दिस. 08	82,621	9,152	106,670	11,852	77.22

आवेदकों द्वारा प्रदत्त सूचना से यह पता चलता है कि " उक्त उत्पाद " का आयात ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, चीन, यूरोपीय संघ, मिस्र, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, कोरिया गण., मलेशिया, न्यूजीलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, नीदरलैंड, रोमानिया, स्पेन, श्रीलंका, थाइलैंड किया जा रहा है । संवर्धित आयातों का पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य मौजूद है जिससे जाँच की शुरूआत न्यायोचित बनती है ।

5. **गंभीर क्षति :** आवेदकों ने दावा किया है कि " उक्त उत्पाद " के संवर्धित आयातों के कारण समान या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु अर्थात् पार्टिकल बोर्डों के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हुई है और उसका खतरा उत्पन्न हो रहा है । गंभीर क्षति होने का दावा आवेदक कंपनियों के निष्पादन से संबंधित निम्नलिखित कारकों की वजह से किया गया है ।

क) **उत्पादन :** आवेदकों द्वारा उक्त उत्पाद का उत्पादन वर्ष 2005-06 में 66707 सीबीएम से बढ़कर 2007-08 में 130887 सीबीएम हो गया जैसाकि निम्नलिखित तालिका से पता चलता है । यद्यपि उत्पादन में अप्रैल-दिसंबर, 2008 में मामूली सुधार हुआ तथापि वह भारत में उक्त उत्पाद के लिए सृजित क्षमता तथा माँग से पर्याप्त कम रहा है । तथापि, एक महत्वपूर्ण कारक यह है कि बृहत क्षमता के उपलब्ध होने के बाद भी उत्पादन में केवल सीमांत रूप से बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। वहीं दूसरी तरफ बढ़ती हुई माँग पर पूरी तरह से वर्धित आयात का प्रभाव है, जो कि आयात के मार्किट शेयर से दृष्टव्य है। यह मार्केट शेयर वर्ष 2007–08 में 49 प्रतिषत से अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2008 में 77 प्रतिषत जा पहुँचा।

(सीबीएम में)

अवधि	अवधि के लिए उत्पादन	मासिक उत्पादन	क्षमता	भारत में माँग
2005-06	66,707	5,559	132,380	84,486
2006-07	101,331	8,444	227,500	101,810
2007-08	130,887	10,907	289,000	129,863
अप्रैल,08 - दिस. 08	106,670	11,852	312,625	126,046

ख) **क्षमता उपयोग :** आवेदकों का क्षमता उपयोग वर्ष 2005-06 में 50.39% से घटकर अप्रैल, 08- दिसंबर, 08 में 29.60% हो गया जैसाकि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है ।

अवधि	क्षमता उपयोग (%)
2005-06	50.39%
2006-07	44.54%
2007-08	45.29%
अप्रैल,08 - दिस. 08	34.12%

आवेदकों ने दावा किया है कि उनके क्षमता उपयोग में उस स्थिति में गिरावट आई है जब उत्पाद की माँग बढ़ी है यदि आयात 2005-06 के दौरान लगभग 5000 सीबीएम से बढ़कर चालू वर्ष के दौरान बढ़कर 9000 सीबीएम से अधिक न हुए होते तो घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट नहीं आई होती ।

ग) **घरेलू खपत में आवेदकों का हिस्सा :** आवेदकों के बाजार हिस्से में भारी गिरावट आई । वर्ष 2005-06 में आवेदकों का बाजार हिस्सा 23.84% और वर्ष 2006-07 में 43.98% रहा था । वर्ष 2007-08 में बाजार हिस्सा 49.83% बना रहा । तथापि, बाजार हिस्सा अप्रैल-दिसंबर, 08 में तेजी से घटकर 34.65% हो गया जैसाकि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होता है ।

अवधि	घरेलू माँग में आवेदकों का हिस्सा (%)
2005-06	23.84%
2006-07	43.98%
2007-08	49.83%
अप्रैल, 08 - दिस. 08	34.65%

6. आवेदकों ने उक्त उत्पाद के आयातों पर चार वर्ष की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क लगाने का अनुरोध किया है । उन्होंने आपात परिस्थितियों, जिनकी वजह से अपूरणीय क्षति हुई है, के मद्देनजर अनंतिम रक्षोपाय शुल्क को तुरंत लगाने का भी अनुरोध किया है । आवेदकों ने बिक्री में अत्यधिक गिरावट, क्षमता उपयोग में कमी, घरेलू कीमत में गिरावट (जिससे भारी वित्तीय घाटा हुआ है) तथा घरेलू कीमत से कम कीमत पर आयातों के कारण बाजार हिस्से में कमी के आधार पर आपात परिस्थितियों का दावा किया है । आवेदकों ने यह भी तर्क दिया है कि ऐसी स्थिति में जब उक्त उत्पाद की माँग में वृद्धि प्रदर्शित हुई है, घरेलू उद्योग के पास वर्तमान क्षमताएँ आयातों में वृद्धि के कारण पर्याप्ततः अप्रयुक्त बनी रही हैं ।

7. आवेदन की जाँच की गई है और यह पाया गया है कि जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए उक्त उत्पाद के आयातों में प्रथम दृष्ट्या वृद्धि हुई है और उनसे समान या अप्रत्यक्ष

प्रतिस्पर्धी उत्पाद के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हुई है और उसका खतरा उत्पन्न हुआ है । तदनुसार यह उचित माना जाता है कि इस बात की जांच करने के लिए जांच शुरू की जाए कि क्या उक्त उत्पाद का आयात ऐसी संवर्धित मात्रा तथा ऐसी परिस्थितियों में हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है अथवा उसका खतरा उत्पन्न हो गया है ।

8. **सूचना प्रस्तुत करना.**—समस्त हितबद्ध पार्टियां इस सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर निम्नलिखित पते पर अपने विचारों से अवगत करा सकती हैं ताकि उन पर अन्तिम निर्धारण में महानिदेशक द्वारा विचार किया जा सके ।

महानिदेशक (रक्षोपाय)
सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,
दूसरा तल, भाई वीर सिंह साहित्य सदन
भाई वीर सिंह मार्ग, गोल मार्किट,
नई दिल्ली -110001

टेलीफैक्स : 23741542/23741537

ई-मेल : dgsafeguards@nic.in

यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी है तो महानिदेशक नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।

9. समस्त ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को अलग से भी लिखा जा रहा है । इस जांच के लिए कोई अन्य पार्टी जो यह चाहती है कि उस पर हितबद्ध पार्टी के रूप में विचार किया जाए, अपने अनुरोध कर सकती है जो इस सूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर महानिदेशक (रक्षोपाय) के पास पहुंच जाना चाहिए ।

[फा. सं. डी-22011/26/2009]
एस. एस. राणा, महानिदेशक

DIRECTORATE GENERAL OF SAFEGUARDS, CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE

NOTICE OF INITIATION OF SAFEGUARD INVESTIGATION

[Under Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997]

New Delhi, the 22nd April, 2009

Subject :— Initiation of Safeguard Investigation concerning imports of Plain Particle Board into India.

G.S.R. 277(E).—An application has been filed before me under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 by M/s. Shirdi Industries Ltd., Mumbai and M/s. Bajaj Eco-Tec Products Ltd., Noida UP for imposition of safeguard duty on imports of Particle Boards, Oriented Strand Boards (OSB) or similar Boards of Wood or other Ligneous Materials, whether or not agglomerated with resins or other organic binding substances (hereinafter referred to as Particle Board) into India to protect the domestic industry against serious injury and threat of serious injury caused by the increased imports of said product in India.

2. **Domestic Industry :**—The application has been filed by M/s. Shirdi Industries Ltd. and M/s. Bajaj Eco-Tec Products Ltd. for imposition of Safeguard Duty on the increase imports of Particle Board into India. The application is supported by M/s. Novapan Industries Ltd., M/s. Archidply Industries Ltd., M/s. Paralam Global Pvt. Ltd., M/s. Patel Kenwood Pvt. Ltd., M/s. Darshanboard Lam Ltd., M/s. Shiv Dhan Boards Pvt. Ltd., M/s. Bakelit Hylam Ltd. and M/s. Greenply Industries Ltd. The applicant alongwith supporting companies account for a more than 60% share of the Indian production.

3. **Product Involved :**—The product involved in the present investigation and being imported into India is "Particle Board, Oriented Strand Board (OSB) and similar Boards (for example, Waferboard) of Wood or other Ligneous Materials, whether or not agglomerated with resins or other organic binding substances [hereinafter referred to as particle board or said

product], falling under Customs Tariff subheading 4410." However, particle boards laminated with veneer or papers or decorative laminate are beyond the scope of the proposed product subject to safeguard duty. The product is also known by a number of commercial names, which includes Plain/Raw/ Coloured Particle/ Fiber Particle/ Bagasse/ Bamboo/ Jute/ Panel board. The product is classifiable under sub-heading No. 4410 of Schedule I of the Customs Tariff Act 1975.

The goods produced by the domestic industry is Particle Board or Oriented Strand Board (OSB) or similar boards of Wood or Other Ligneous Materials. Applicants have claimed that the goods produced and supplied by the Indian Producers are comparable to the goods being imported from various countries in terms of essential product characteristics, such as manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Applicants have claimed that the goods produced by the Indian Producers constitute like or directly competitive article to the imported article.

The product is transacted either on weight basis (kg. or MT) or on physical dimension basis (cubic meters, or CBM). The product is produced in wide range of thickness and width.

4. **Increased Imports**: Based on information compiled from DGCI&S for the period upto Dec 2007 and International Business Information Services (IBIS) for the subsequent period, applicants have shown that imports of the "said product" have increased in absolute terms as also in relation to production & consumption in India, as shown in the table below;

	Imports volume in CBM	Imports per month in CBM	Indian production in CBM	Indian production per month in CBM	Imports in relation to Indian production in %
2005-06	64,343	5,362	66,707	5,559	96.46
2006-07	57,030	4,752	101,331	8,444	56.28
2007-08	65,152	5,429	130,887	10,907	49.78
April08-Dec'08	82,621	9,152	106,670	11,852	77.22

The information provided by the applicants shows that the "said product" is being imported from Australia, Bangladesh, Belgium, China, Eouripian UN, Egypt, Finland, France, Germany, Hong Kong, Korea RP, Malaysia, New Zealand, Poland, Portugal, Netherlands, Romania, Spain, Sri-Lanka, Thailand. There is sufficient prima facie evidence of surge in imports justifying initiation of investigations.

5. **Serious Injury**: Applicants have claimed that the increased imports of "said product" have caused and are threatening to cause serious injury to the domestic producers of like or directly competitive article, i.e., particle boards. Serious injury has been claimed on account of following factors relating to the performance of the applicant companies.

1537 GI/09-9

a) **Production**: Production of said product by the applicants increased from 66707 CBM in 2005-06 to 130887 CBM in 2007-08 as shown in the table below. Even though the production marginally improved in April, - Dec' 2008, the same is substantially lower than capacity created and demand for the said product in India. However important factor is that inspite of huge capacity available production has increased only marginally while on the other hand the increasing demand has almost entirely been taken away by the increased import can be seen from in creased market share of imports 49% during 2007-08 to 77% in april 2008 to December 2008.

(In CBM)

Period	Production for the period	Monthly production	Capacity	Demand in India
2005-06	66,707	5,559	132,380	84,486
2006-07	101,331	8,444	227,500	101,810
2007-08	130,887	10,907	289,000	129,863
April 08 – Dec 08	106,670	11,852	312,625	126,046

b) **Capacity Utilization**: The capacity utilization of the applicants declined from 50.39% in 2005-06 to 29.60% in April'08-Dec'08, as shown in the table below:

Period	Capacity Utilization (%)
2005-06	50.39%
2006-07	44.54%
2007-08	45.29%
April 08 – Dec 08	34.12%

Petitioner claimed that their capacity utilization has declined in a situation where the demand for the product has increased. Had the imports not surged from about 5,000 CBM during 2005-2008 to more than 9000 CBM during current year, the capacity utilization of the domestic industry would not have declined.

c) **Share of applicants in domestic consumption**: Market share of applicants has fallen significantly. Applicants had a market share of 23.84% during 2005-06 and 43.98% in 2006-07. Market share remained at to 49.83% in 2007-08. Market share, however, declined steeply to 34.65% in April-Dec 08, as is evident from the following table.

Period	Share of applicants in Domestic demand (%)
2005-06	23.84%
2006-07	43.98%
2007-08	49.83%
April 08 – Dec 08	34.65%

6. The applicants have requested for imposition of safeguard duty on imports of said product for a period of four years. They have also requested for an immediate imposition of provisional Safeguard Duty in the light of critical circumstances, leading to irreparable damage. Applicants have claimed critical circumstances on the grounds of significant drop in sales, significant fall in capacity utilization, decline in the domestic prices (leading to severe financial losses) and loss of market share to imports at prices lower than domestic prices. Applicants have also argued that in a situation where demand for the said product has shown increase, current capacities with the domestic industry are remaining significant idle due to surge in imports.

7. The application has been examined and it is found that prima facie imports of the said product have increased significantly and have caused and are threatening to cause serious injury to the domestic producers of like or directly competitive product to justify initiation of investigations. Accordingly, it is considered to appropriate to initiate an investigation to determine whether imports of the said product have increased in such increased quantities and under such circumstances so as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry.

8. **Submission of information** – All interested parties may make their views known within a period of 30 days from the date of this notice at the address given below so that the same may be considered in final determination that may be made by the Director General.

The Director General (Safeguards),
Bhai Vir Singh Sahitya Sadan: 2nd Floor,
Bhai Vir Singh Marg,
Gole Market,
New Delhi-110 001 India.
Telefax: 011-23741542/ 23741537
E-mail: dgsafeguards@nic.in

If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Director General may record their findings on the basis of the facts available on record in accordance with rule 6(7) of the Rules.

9. All known interested parties are also being addressed separately. Any other party to the investigation who wishes to be considered as an interested party may submit its request so as to reach the Director General (Safeguards) within 21 days from the date of this notice.

[F. No. D-22011/26/2009]
S. S. RANA, Director General

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.